>

Title : Need to constitute a Pay Review Committee for the non-teaching staff of Universities in India to bring their pay at par with teachers/officers of the Universities.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों एवे अधिकारियों के अन्य वर्गों के लिए एक समान वेतन निर्धारित किया है। जबकि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मुद्दे को दरकिनार कर दिया गया है। जबकि विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी विश्वविद्यालय प्रशासन के अभिन्न अंग है। अतः विश्वविद्यालय के एक छत के नीचे एक वर्ग यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतनमान से लाभान्वित हो रहा है वहीं दूसरा वर्ग-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वर्ग भिन्न वेतनमान से राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित हो रहा है। इस तरह विश्व विद्यालयों में दोहरा मापदंड चल रहा है जबकि पूर्व में मंत्रालय के द्वारा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों की तरह करने पर विचार करने का आश्वासन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ को मिल चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रो0 जी0 के0 चड्ढा की अध्यक्षता में शिक्षकों के लिए एक पे रिव्यू कमेटी का गठन किया था और उसकी संस्तुतियां लागू हो चुकी है। इसी तरह देश के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान एवे सेवा शर्तों के लिए एक अलग से पे रिव्यू कमेटी के गठन की मैं मांग करता हूं।